[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना संख्या 96 /2020 - सीमाशुल्क (गै.टै.)

नयी दिल्ली, दिनांक 12 अक्टूबर, 2020

सा.का.नि. ________(अ).- सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 2 की उप-धारा (34) के साथ पठित धारा 4 की उपधारा (1) और धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 50/2020- सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 5 जून, 2020, जिसे सा.का.नि 352 (अ) , दिनांक 5 जून, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा:-

1. उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

   i. क्रम संख्या 1 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (क) के बाद, निम्नलिखित मद को अंत:स्थापित किया जाएगा:-

   "(ख) धारा 149 (सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 47 या धारा 68 के अंतर्गत माल के क्लियरेंस के आदेश को जारी करने के पहले या सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 60 के अंतर्गत उसको हटाकर ले जाने की अनुमति के आदेश को जारी करने के पहले, जैसी भी स्थिति हो);".

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

[फा. स. 450/26/2019 - सीमाशुल्कIV(पार्ट)]

आर. आनंद

(राधाकृष्णन आनंद)

उप सचिव (सीमाशुल्क)

टिप्पणी: प्रधान अधिसूचना संख्या 50/2020- सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 5 जून, 2020, सा. का. नि. 352 (अ), दिनांक 5 जून, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गयी थी।